BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 611 OF 2025

IN THE MATTER OF:

PAPPU **….APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ……**RESPONDENT(S)**

INDEX

S. NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	JOINT COMMITTEE REPORT BY THE DISTRICT MAGISTRATE, KASGANJ, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE DIRECTIONS OF THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
2.	A COPY OF THE LETTER DATED 27.01.2026 IS ANNEXED HEREIN AND MARKED AS **ANNEXURE-1**	
3.	A COPY OF THE SAID INSPECTION REPORT DATED 20.02.2026 IS BEING ANNEXED HEREWITH AS **ANNEXURE-2**	
4.	A COPY OF THE SAID APPLICATION DATED 05.04.2025 IS BEING ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-3**	

5.	A COPY OF THE SAID LETTER DATED 22.07.2025 IS BEING ANNEXED HEREWITH AS **ANNEXURE-4**	
6.	PHOTOGRAPHS OF CUT AND UNCUT TREES TAKEN UPON THE SITE INSPECTION DATED 17.02.2026 ARE BEING ANNEXED HEREWITH AS **ANNEXURE- 5**	
7.	A COPY OF THE RELEVANT REVENUE RECORDS ALONG WITH THE NAZRI NAKSHA ARE COLLECTIVELY BEING ANNEXED HEREWITH AS **ANNEXURE-6**	
8.	A COPY OF THE SAID KHASRA RECORDS ARE BEING ANNEXED HEREWITH AS **ANNEXURE-7**	
9.	COPIES OF THE NOTICES SERVED ARE BEING ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS **ANNEXURE-8**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE DISTRICT MAGISTRATE, KASGANJ
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-6375115224

DATE: 28.03.2026
PLACE: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 611 OF 2025

IN THE MATTER OF:

PAPPU

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS

...RESPONDENT(s)

JOINT COMMITTEE REPORT BY THE DISTRICT MAGISTRATE, KASGANJ, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE DIRECTIONS OF THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, Pranay Singh aged about 37 years S/o Sh. Kiran Pal Singh, presently posted as District Magistrate, Kasganj do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present response.

NOTARIAL

RAM BABU
Advocate Notary
Teh. KASGANJ
27-3-26

2. That, I state that the contents of the response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. The applicant has raised grievances regarding illegal felling of trees by the persons named in the original application from his ancestral land, plot no. 188 situated in Village Longpur, District Kasganj (Kashiram Nagar).

4. That the Hon'ble Tribunal vide its order dated 08.12.2025 had directed the following:

"10. Notices are ordered to be served on respondents no. 4 to 7 through District Magistrate, Kanshiram Nagar (Kasganj) and for this purpose, notices issued to them are ordered to be sent to the District Magistrate, Kanshiram Nagar (Kasganj) through e-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard to this Tribunal within 15 days.

12. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the

RAM BABU
Advocate Notary
Teh. KASGANJ
27-3-26

factual position and to suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of District Magistrate, Kanshiram Nagar (Kasganj) and Divisional Forest Officer, Kasganj (Kashiram Nagar) and direct the same to meet within two weeks, 3 undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and to suggest appropriate remedial action and submit its report within one month. The District Magistrate, Kanshiram Nagar (Kasganj) will be the nodal agency for coordination and compliance."

II. FACTUAL STATUS

A. DIRECTIONS ISSUED TO THE DFO AND ADM (J)

5. It is respectfully submitted that, vide letter dated 27.01.2026, the District Magistrate, in compliance of the orders of the Hon'ble Tribunal, directed the Divisional Forest Officer (DFO) and the Additional District Magistrate (J) to carry out the necessary on-site inspection and submit the action taken report at the earliest.

A copy of the letter dated 27.01.2026 is annexed herein and marked as **ANNEXURE-1**

RAM BABU
Advocate Notary
27-3-26

B. SITE INSPECTION CONDUCTED ON 17.02.2026

6. It is submitted that in consonance of the above directions, **the DFO, and the ADM, Kasganj, conducted a site inspection on 17.02.2026** in presence of both the parties, namely Sonpal and Baburam as well as other villagers.

   A copy of the said inspection report dated 20.02.2026 is being annexed herewith as **ANNEXURE-2**

7. That during the inspection, it was found that Sonpal, S/O Hakim Singh, resident of Village Longpur, Pargana Sidhpura, Tehsil Patiyali, District Kasganj, owner of Gata No. 187 **had submitted an application dated 05.04.2025 to the Office of the DFO, seeking permission for felling 12 Jamun trees U/S 5(1), U.P Tree Protection Act, 1976 recorded on Gata No. 187, which has an area of 0.465 hectares.**

   A copy of the said application dated 05.04.2025 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3**

C. PERMISSION GRANTED BY THE DFO TO FELL 12 JAMUN TREES

8. Subsequently, the Office of the DFO, vide letter dated 22.07.2025 granted permission for the felling of 12 Jamun trees in accordance with

RAM BABU
Advocate Notary
27-3-26

rules vide Permission No. 5768051, Letter No. 119/22-1, and took a **sum of 12,000 at the rate of 1000 Rupees per tree (12 trees) to plant 120 saplings as part of 10 times compensatory afforestation. That the said compensatory afforestation would be carried out in the Monsoon of 2026.**

A copy of the said letter dated 22.07.2025 is being annexed herewith as **ANNEXURE-4**

9. It is submitted that after obtaining due permission from the DFO, **Sonpal carried out felling of total 5 trees as follows: 01 Jamun, 02 Papdi, 01 Bakaina, and 01 Eucalyptus tree.** Among which, only the Jamun tree falls under the category of restricted species, for which, prior permission was already sought from the DFO. That further, both parties, Sonpal and Baburam are claiming ownership not only over the felled trees but also over the standing trees at the site.

10. Before further felling could take place, Baburam, S/O Shri Ganesh, along with his family members, objected claiming ownership over the trees. To avoid any untoward situation, the Forest Department issued directions to stop any further felling.

RAM BABU
Advocate Notary
27-3-26

Photographs of cut and uncut trees taken upon the site inspection dated 17.02.2026 are being annexed herewith as **ANNEXURE- 5**

D. RELEVANT REVENUE RECORDS

11.It is material to mention here that as per the relevant revenue records, it has been disclosed that:

i. **Gata No. 187, area 0.465 hectares, is recorded in the name of Sonpal,** S/O Shri Hakim Singh; and

ii. **Gata No. 188, area 1.0200 hectares, is recorded as transferable land in the name of Baburam,** S/O Shri Ganesh, resident of Village Longpur, Pargana Sidhpura, Tehsil Patiyali, District Kasganj

A copy of the relevant revenue records along with the nazri naksha are collectively being annexed herewith as **ANNEXURE-6**

12. That it is also material to mention here that, that in the relevant Khasra Records of both Gata No.s 187 owned by Sonpal and 188, owned by Baburam, the total no. of trees and crops have been disclosed in Khasra records.

A copy of the said Khasra Records are being annexed herewith as **ANNEXURE-7**

RAM BABU Advocate Notary Teh. Kasganj

27-3-26

13. Further, it is submitted that, the notices to the following four respondents have been duly served as per the Hon'ble Tribunal's directions and were duly accepted on **14.03.2026 along with the signatures of all the under-mentioned Respondents.**

1.	Sonpal S/o Hakim Singh, R/o Longpur.	Respondent No. 4
2.	Vinod Kumar S/o Sonpal, R/o Longpur.	Respondent No. 5
3.	Vijay Babu R/o Sidhpura, R/o Longpur.	Respondent No. 6
4.	Vikas Babu S/o Mahesh Chandra R/o Longpur	Respondent No.7

Copies of the Notices served are being annexed herewith and collectively marked as **ANNEXURE-8**

14. That, the deponent has been duly diligent in complying with the orders passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, and has taken all necessary measures to ensure timely and complete compliance therewith in letter and spirit.

15. Hence, the present affidavit is being submitted for the kind perusal of the Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

DEPONENT

RAM BABU
Advocate Notary
Teh. Kasganj
27-3-26

VERIFICATION

Verified at Kasganj on this 27 day of March 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 15 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

RAM BABU
Advocate Notary
Teh. KASGANJ
27-3-26

100
27-3-26

TRUE COPY ATTESTED
27-3-26
Ram Babu Advocate
Notary
Regd No 11(12)1999
GOVT. OF UTTAR PRADESH

ANNEXURE-1

नोट शीट

मुख्य विकास अधिकारी / जिलाधिकारी, कासगंज

महोदय,

अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली का आदेश दिनांक 08.12.2025, **(पताका–क)** (मूल आवेदन संख्या 611 / 2025 – Pappu बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में पारित आदेश के क्रमांक 12 के अंतर्गत तथ्यों के सत्यापन एवं उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही सुझाने हेतु एक संयुक्त समिति का गठन किया जाना है।

उक्त संयुक्त समिति में जिलाधिकारी, कासगंज (कांशीराम नगर) के प्रतिनिधि तथा प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज को सम्मिलित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। समिति को स्थल निरीक्षण कर, आवेदक की शिकायतों की जाँच करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट अति शीघ्र माननीय अधिकरण को प्रस्तुत करनी है। साथ ही, जिलाधिकारी महोदय को इस प्रकरण में नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

अतः सहमति की दशा उपर्युक्त प्रकरण में माननीय NGT के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी स्तर से एक प्रतिनिधि नामित कर हस्ताक्षर करना चाहें। ADM J नामित

(संजीव कुमार) प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग कासगंज।	23/1/26 मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज।	27/01/26 जिलाधिकारी, कासगंज।

जिलाधिकारी
कासगंज।

ANNEXURE-2

महोदय,

कृपया संलग्न पत्र संख्या–MINPA/E/2025/0000775/11.02.2026 मा0 न्यायालय ग्रीन ट्रिब्यूनल, फरीदकोट हाउस कोपरनिकस मार्ग नई दिल्ली का अवलोकन करने का कष्ट करें। मा0 न्यायालय (कोर्ट नं0–2, आइटम नं0–07) में विचाराधीन ओर्जीनल एप्लीकेशन नं0–611/2025 पप्पू बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में दिनांक 09.02.2026 निम्न निर्देश दिए गए हैं–

01. प्रतिवादी संख्या–04 से 07 को इस न्यायालय के नोटिस का तामीला कराकर तीन दिवस में तामीला रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित किया जाए।
02. प्रकरण के सम्बन्ध में संयुक्त जॉच आख्या दो सप्ताह में न्यायालय को प्रेषित किया जाए।

मा0 न्यायालय के उपरोक्त निर्देश के अनुपालन हेतु आपके आदेश दिनांक 27.01.2026 द्वारा हम द्वय अधिकारियों प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग कासगंज एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) कासगंज की संयुक्त समिति गठित की गई। हम द्वय अधिकारियों की संयुक्त समिति द्वारा मा0 न्यायालय ग्रीन ट्रिब्यूनल के उपरोक्त आदेश के क्रम में आवश्यक जॉच एवं कार्यवाही की गई है, जो निम्नवत् है:–

01– <u>नोटिस तामीला विषयक</u>

गठित समिति द्वारा प्रतिवादी संख्या–04 से 07 को मा0 न्यायालय के नोटिस के सम्बन्ध में दिनांक 17.02.2026 को अनुपालन कराया गया। प्रतिवादी संख्या–01 सोनपाल पुत्र श्री हाकिम सिंह, प्रतिवादी संख्या–02 विनोद कुमार पुत्र श्री सोनपाल, प्रतिवादी संख्या–04 विकास बाबू पुत्र श्री महेश चन्द्र सभी निवासी ग्राम लौंगपुर परगना सिढ़पुरा तहसील पटियाली जनपद कासगंज को नोटिस का तामीला व्यक्तिगत रूप से कराया गया है। प्रतिवादी संख्या–03 विजय बाबू के मौके पर अनुपस्थित होने के कारण दो गवाहान के समक्ष नोटिस इनके मकान पर चस्पा करते हुए तामील कराया गया है। तामीला सम्बन्धी रिपोर्ट दिनांक 18.02.2026 को ई–मेल द्वारा तथा स्पीड–पोस्ट द्वारा मा0 न्यायालय को प्रेषित किया जा चुका है।

02– <u>प्रकरण की स्थलीय व अभिलेखीय जॉचोपरान्त आख्या</u>

प्रकरण की जॉच के सम्बन्ध में पक्षकारों को पूर्व सूचना के आधार पर हम द्वय की संयुक्त समिति द्वारा स्थल पर दिनांक 17.02.2026 को जॉच किया गया। जॉच के समय दोनों पक्ष तथा अन्य ग्रामवासी मौके पर उपस्थित थे। स्थल पर जॉच के समय के फोटोग्राफ्स तथा उभयपक्षों के बयान आख्या के साथ संलग्न है। जॉच के दौरान यह पाया गया कि वर्तमान में घटना स्थल पर जामुन के 01, पापड़ी के 02, बकेना के 01 तथा यूकेलिप्टस के 01 वृक्षों का कटान किया गया है। यह सभी वृक्ष मौके पर पाये गये। इनमें से जामुन वृक्ष ही प्रतिबन्धित प्रजाति की श्रेणी में आता है। उभयपक्षों द्वारा इन कटे हुए वृक्षों के साथ–साथ मौके पर स्थित अन्य बिना कटे हुए वृक्षों को अपना–अपना बताया जा रहा है। इन कटे वृक्षों के अतिरिक्त मौके पर यूकेलिप्टस के 10, बकेना के 02, जामुन के 15, पाकड़ के 17 तथा शिरीस प्रजाति के 01 वृक्ष खड़े एवं हरे–भरे पाए गए। मुख्य विवाद इन वृक्षों के स्वामित्व को लेकर है।

राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या–187 क्षेत्रफल 0.465 है0 सोनपाल पुत्र श्री हाकिम सिंह के नाम से तथा गाटा संख्या–188 क्षेत्रफल 1.0200 है0 बाबूराम पुत्र श्री गनेश नि0 ग्राम लौंगपुर परगना सिढ़पुरा तहसील पटियाली जनपद कासगंज के नाम संक्रमणीय (ट्रान्सफेरेबुल) भूमि के रूप में दर्ज है। गाटा संख्या–188 के भूमिधर/स्वामी बाबूराम पुत्र श्री गनेश द्वारा अपनी भूमि गाटा संख्या–188/1.0200 है0 के सीमांकन हेतु न्यायालय उप जिलाधिकारी

क्रमशः पृष्ठ 2 पर.....................

तहसील पटियाली में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के अन्तर्गत 01 वाद T202418750202127 दायर किया गया। न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरान्त अपना आदेश दिनांक 24.04.2024 को पारित किया गया। उल्लेखनीय है कि इस वाद में प्रतिवादी सोनपाल पुत्र श्री हाकिम सिंह द्वारा दिनांक 04.03.2024 को अपनी आपत्ति/पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त आदेश पारित किया गया है। इस आदेश के पारित होने के उपरान्त स्थल पर इसका अनुपालन भी दिनांक 26.06.2024 को कराया जा चुका है। जॉच के समय सीमांकित स्थल पर सीमांकन पिलर तथा तार फेसिंग पाया गया। इस सीमांकन एवं अनुपालन के पश्चात उपरोक्त वर्णित सभी प्रजातियों के वृक्ष बाबूराम पुत्र श्री गनेश के भूमि गाटा संख्या–188 में पाए गए। पक्षकार सोनपाल पुत्र श्री हाकिम सिंह द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी कासगंज के समक्ष जामुन के 12 वृक्षों के पातन हेतु आवेदन दिनांक 05.04.2025 को किया गया जिस पर जॉचोपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी कासगंज द्वारा अपने आदेश पत्र संख्या–118 दिनांक 22.07.2025 से इन 12 वृक्षों के पातन की अनुमति विहित शर्तों के अधीन प्रदान किया गया। अनुमति प्राप्त होने के पश्चात सोनपाल पुत्र श्री हाकिम सिंह द्वारा जामुन के 01, पापड़ी के 02, बकेना के 01 तथा यूकेलिप्टस के 01 वृक्षों का पातन कराया गया। अन्य वृक्षों के पातन के पूर्व विपक्षी बाबूराम पुत्र श्री गनेश तथा इनके परिजनों द्वारा इन वृक्षों को अपना बताते हुए विरोध किया गया। किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए वन विभाग द्वारा वृक्षों के पातन को रोक दिया गया। वर्तमान में स्थल पर कटे हुए तथा बिना कटे हुए सभी वृक्ष यथास्थान मौजूद हैं।

राजस्व अभिलेखों तथा निर्णीत वादों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त सभी वृक्ष गाटा संख्या–187 तथा 188 के मध्य रेखा पर स्थित हैं। न्यायालय उप जिलाधिकारी पटियाली जनपद कासगंज के द्वारा उपरोक्त उल्लिखित वाद में पारित आदेश दिनांक 14.04.2024 के क्रम में यह सभी वृक्ष गाटा संख्या–188 में अवस्थित पाए गए हैं, जो बाबूराम पुत्र श्री गनेश की भूमि है। दोनों पक्षों को इस आदेश की भली भॉति जानकारी है तथा विपक्षी सोनपाल पुत्र श्री हाकिम के पास इस आदेश के विरूद्ध प्रवर न्यायालय में नियमानुसार वाद/अपील योजित कर अनुतोष प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध है। दोनों पक्षों के लिखित बयान भी दर्ज किए गए हैं जो मूलरूप में संलग्न हैं।

<u>जॉच निष्कर्ष</u>

स्थलीय एवं अभिलेखीय जॉचोपरान्त यह पाया गया कि प्रकरण वास्तुतः आपसी भूमि विवाद सीमांकन एवं खातेदारी से सम्बन्धित है न कि वन अपराध से। वन अधिनियम अथवा सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत किसी प्रकार का उल्लंघन होना नहीं पाया गया है तथा वन विभाग द्वारा किसी प्रकार की दांण्डिक अथवा विभागीय कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में की गई कार्यवाही समस्त संलग्नकों सहित सादर प्रेषित है।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)
कासगंज।
20.02.26

प्रभागीय वनाधिकारी कासगंज
वन प्रभाग कासगंज।
20.02.26
प्रभागीय वनाधिकारी
कासगंज वन प्रभाग
कासगंज

बयान श्री सोनपाल पुत्र श्री हरिकिशन उम्र करीब 65 वर्ष पेशा
खेती जाति ठाकुर नि० लौंगपुर के बाबत बयान लिया

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मौजा लौंगपुर परगना
सिढ़पुरा तहसील पटियाली जनपद कासगंज बयान करता हूँ
कि ग्राम लौंगपुर स्थित गाटा सं० 187/0.465 हे० भूमि मे मेरा
नाम दर्ज खतौनी काबिज हूँ। इस पर खड़े यूकेलिप्टस
जामुन आदि के पेड़ भी मेरे स्वयं द्वारा
लगाये मेरे द्वारा लगाये गये। जिन्हे करीब 35-40 वर्ष
हो चुके हैं। मेरे द्वारा नियमानुसार इनके काटने
की अनुमति ली है। किन्तु विपक्षी पक्ष कोई व्यवधान उत्पन्न
करते हैं।

दीपक कुमार 17-02-2026 दीपक कुमार लेखपाल
क्षेत्र सैलोर
सो० न० पा० पटियाली कासगंज

गवाह

(1) विनोद s/o सोनपाल — विनोद
(2) विकास बाबू s/o महेशचन्द — विकास बाबू
(3)

प्रमाणित है
17.02.26
नायब तहसीलदार
पटियाली (कासगंज)

बयान श्री पप्पू पुत्र बाबूराम उम्र करीब 42 वर्ष पेशा मजदूरी जाति जाटव नि० लौनाडेर

मैं सशपथ बयान करता हूँ कि मौजा लौनाडेर के गाटा 100/1-0.208 है में मेरे पिताजी बाबूराम पुत्र गनेशा के नाम दर्ज है। गाटा 30 संख्या है। मेरे भाग खाता 24 के अतिरिक्त पक्की परिया माँग चुकी है। पर खड़े पेड़ मेरे हैं। पेड़ लगे हुए करीब 30 वर्ष हो गये। मेरे द्वारा ही पेड़ों को न ... के सम्बन्ध में न्यायालय और शिकायत में किसी मैंने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है।

Dharmendra Kumar 17-02-2026

पप्पू

गवाह -

1. गंगासागर s/o बाबूराम — गंगासागर
2. गुड्डू s/o ... — गुड्डू
3. आशीष s/o लक्ष्मीचन्द्र — आशीष कुमार

लौनाडेर

हस्ताक्षर
17.02.26
(MT-P)

नायब तहसीलदार
...

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अलीगढ़,जनपद :कासगंज,तहसील :पटियाली
वाद संख्या :-RST/2127/2024
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202418750202127
बाबूराम बनाम
अंतर्गत धारा:- 24, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

यह सीमांकन का वाद बाबूराम पुत्र गेंदेश निवासी लौंगपुर परगना सिढपुरा तहसील पटियाली
जनपद कासगंज द्वारा इस कथन के साथ योजित किया गया है कि प्रार्थी मौजा लौंगपुर परगना सिढपुरा
में स्थित गाटा सं0 188 / 1.020 हैं0 का संक्रमणीय भूमिधर है। वाद भूमि की मेड़े को प्रतिवादीगणों ने
तोड़कर बिस्मार कर दिया, जिससे मेड़े टेढ़ी मेढ़ी होकर आकृति नक्शा मुताबिक भिन्न हो गयी है।
जिससे विवादित भूमि के सीमा चिन्ह समाप्त हो गये है। विवादित भूमि की मेडे सही कराने के लिए
प्रतिवादीगण से कई बार कहा गया परन्तु वह ऐसा करने को तैयार नही हुए, बल्कि अमादा फसाद हो
गये। तब प्रार्थी ने मजबूर होकर यह सीमांकन का वाद श्रीमान जी के न्यायालय मे प्रस्तुत करना पड़ा
है। वादी ने सीमांकन शुल्क नु0 1000 रूपया चा0सं0 10 से दिनांक 28.09.2021 को सैन्ट्रल बैंक
पटियाली मे जमा कर दिया है। प्रार्थी के वाद पत्र से सन्तुष्ट होकर न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक से
सीमांकन आख्या चाही गयी। राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन हेतु गॉव मे मुनादी करा दी कि गाटा सं0
188 / 1.020 है0 की पैमाइश दिनांक 23.06.2022 को की जानी है अतः आप नियत दिनांक को सुबह 10.
00 बजे मौका पर उपस्थित मिले। राजस्व निरीक्षक पूर्व सूचना अनुसार मौका पर उपस्थित हुए। मौका
पर उपस्थित वादी प्रतिवादीगण तथा गॉव के कुछ संभ्रान्त व्यक्ति हाजिर थे। उपस्थित सभी व्यक्तियो
को अवगत कराया कि गाटा सं0 188 / 1.020 है0 की माप की जायेगी। राजस्व निरीक्षक ने मौका का
नजरी नक्शा बनाया। नजरी नक्शा आवश्यकता के अनुसार बिन्दु प्रदर्शित किये गये। माप कार्य मे प्रयोग
किये जाने वाली जरीब की कडिया गिनवायी। सभी उपस्थित व्यक्तियों ने जरीब मे 100 कडिया होना
स्वीकार किया। इसके बाद माप कार्य प्रारम्भ किया। नक्शा नजरी की सहायता से माप तालिका तैयार
की जिसमे कमी बेशी का विवरण अंकित किया। राजस्व निरीक्षक ने मौका पर उपस्थित सभी व्यक्तियो
को अवगत कराया कि यदि किसी व्यक्ति को इस माप कार्य से कोई आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति
न्यायालय उपजिलाधिकारी में प्रस्तुत कर सकता हैं।

सीमांकन आख्या प्राप्त होने के उपरान्त प्रतिवादीगण को सम्मन निर्गत किये गये। पत्रावली दिनांक
16.08.2023 को पैरवी के अभाव मे वाद की कार्यवाही निरस्त कर दी गयी। वादी द्वारा आदेश दिनांक
16.08.2023 के विरुद्ध दिनांक 31.10.2023 को प्रार्थना पत्र तजवीजसानी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र
तजवीजसानी दिनांक 12.02.2024 को स्वीकार किया गया। प्रतिवादी सोनपाल पुत्र हाकिमसिंह निवासी
लौंगपुर द्वारा दिनांक 04.03.2024 को राजस्व निरीक्षक की आख्या पर आपत्ति इस कथन के साथ प्रस्तुत
की रा0नि0 की आख्या दिनांक 26.12.2022 खिलाफ कानून व खिलाफ वाक्यात है, जो निरस्त होने योग्य
है। रा0नि0 द्वारा आपत्तिकर्त्ता की अनुपस्थिति में दिनांक 26.12.2022 को गलत तरीके से वादी से
मिलकर उसे लाभ पहुँचाने की गरज से आख्या प्रस्तुत की है, जो कतई स्वीकार नहीं है। उपरोक्त तथ्यों
के आधार पर राजस्व निरीक्षक की माप आख्या दिनांक 26.12.2022 निरस्त किया जाना न्यायहित में
आवश्यक है। अन्त में अनुरोध किया कि आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रा0नि0 की सीमांकन आख्या
दिनांक 26.12.2022 निरस्त कर पुनः सीमांकन आख्या हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

वादी द्वारा आपत्ति का जबाब दिनांक 11.03.2024 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि राजस्व
निरीक्षक की आख्या दिनांक 26.12.2022 वैध है एवं स्वीकार होने योग्य है। उपरोक्त वाद में
आपत्तिकर्त्ता का मौके पर रकबा पूरा है। मात्र वादी को परेशान करने के उददेश्य से आपत्ति प्रस्तुत की

/ना.ना./स.वा.आ.न./पेशकार त.
नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।
एसडीएम पटियाली

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अलीगढ़,जनपद :कासगंज,तहसील :पटियाली
वाद संख्या :-RST/2127/2024
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202418750202127
बाबूराम बनाम
अंतर्गत धारा:- 24, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

है। ऐसी स्थिति में आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2024 निरस्त किया जावे एवं रा0नि0 की सीमांकन आख्या दिनांक 26.12.2022 स्वीकार की जावे।

मेरे द्वारा उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ के तर्क सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों/राजस्व निरीक्षक की आख्या का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आख्या दिनांक 26.12.2022 से आपत्तिकर्त्ता का रकवा प्रभावित नहीं होता है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा आपत्ति मात्र वादी को तंग व परेशान के उददेश्य से प्रस्तुत की है। आपत्तिकर्त्ता की आपत्ति दिनांक 04.03.2024 निरस्त एवं रा0नि0 की सीमांकन आख्या दिनांक 26.12.2022 स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

आदेश

सोनपाल पुत्र हाकिमसिंह निवासी लौगपुर परगना सिढ़पुरा तहसील पटियाली जनपद कासगंज द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 04.03.2024 निरस्त की जाती है तथा राजस्व निरीक्षक की माप आख्या दिनांक 26.12.2022 की स्वीकार की जाती है। पत्रावली पक्की माप हेतु तहसीलदार पटियाली को भेजी जाये। माप तालिका, नक्शा नजरी, उपस्थितिनामा आदि इस आदेश के मुख्य अंग रहेंगे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

14.09.24
(कुलदीप सिंह)
उपजिलाधिकारी
पटियाली

प्रमाणित प्रति
पेशकार
न्यायालय उपजिलाधिकारी/
उपजिला मजिस्ट्रेट पटियाली
जनपद–कासगंज

क्रम सं0 343
प्रार्थी का नाम ...
... 10
... 18-8-24
... 18-8-24
दिनांक 18-8-24
... का दिनांक 18-8-24
हस्ताक्षर प्रतिलिपिक

पृष्ठ संख्या :

न्यायालय उपजिलाधिकारी पलिया ... 27/2024 ...

सेवा में

कृपया मान्य न्यायालय उपजिलाधिकारी महोदय पलिया जनपद खीरी वाद सं० 2419/2023 बाबूराम बनाम अजितराजसिंह आदि अन्तर्गत धारा 24 अधिनियम उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 पर पारित आदेश दिनांक 20/05/24 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके आदेश के अनुपालन में पूर्व सूचना दिनांक 19/06/24 के अनुसार दिनांक 26/06/24 को मौजा ... परगना ... तहसील पलिया जनपद खीरी के विवादित गाटा सं० 180/1-0.20 है० की पक्की पैमाइश रा० नि० की आख्या दिनांक 26.12.2022 एवं माप तालिका / नक्शा नजरी के आधार पर पुलिस बल व वादी तथा ग्राम के सम्भ्रान्त व्यक्तियों की उपस्थिति में निशानात कर पक्की पत्थर गड़वा दी गयी है। मौके प्रतिवादी भी उपस्थित रहे किन्तु उपस्थिति पर हस्ताक्षर / नि० अं० करने से इन्कार कर दिया। साक्ष्य स्वरूप मूल्यांकन / उपस्थिति नामा साथ में संलग्न है।

अनुमोदनार्थ आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

(हस्ताक्षर) .../07/2024

602 RC
11-07-24

अनुमोदित
(हस्ताक्षर)
11/07/24

न्याय... ...कारी,
...तहसील पलिया

क्रम सं0 3723
प्रार्थी का नाम ...

प्रपत्र ... राजस्व निरीक्षक पार्टी
वाद सं. 27/2024 धारा - 24 ...
मौजा - ...
पत्रांक - सिं.द्वि
दिनांक 26.12.2022

महोदय

मौजा ... बाबूराम बनाम ... के बारे में वादी पक्ष द्वारा दाखिल नकल ... नक्शा ... मुताबिक नक्शा चकबन्दी व नकल खसरा व नकल खतौनी मुताबिक नक्शा ... मौजूदा हालत व उभय पक्षों को पूर्व सूचना दिये जाने के पश्चात ... पर उपस्थित उभय पक्षों व ... की उपस्थिति में की गयी नाप का ब्यौरा निम्नवत है।

सर्वप्रथम स्थल पर पहुंच कर चारो तरफ घूम कर देखा तो पाया कि ... बिन्दु निर्देश A स्थल पर मौजूद है। बिन्दु A से बिन्दु B को नापा गया तो यह दूरी 1380 कड़ी मुताबिक मौका नजरा नहीं पायी गयी अब बिन्दु B से बिन्दु C को नापा गया तो यह दूरी 1510 कड़ी मुताबिक मौका नजरा नहीं पायी गयी अब पुनः बिन्दु A से बिन्दु C को नापा गया तो यह दूरी 1260 कड़ी मुताबिक मौका नजरा नहीं पायी गयी उन से ... जाता है कि त्रिभुजाकार आकृति ABC के तीनो बिन्दु आपस में ... है। अब बिन्दु C से बिन्दु D को नापा गया तो यह दूरी 700 कड़ी मुताबिक मौका नजरा नहीं पायी गयी। अब भुजा DE, EF, FG को नापा गया तो पाया गया कि उक्त तीनों भुजाएं क्रमशः 480 कड़ी ... 300 कड़ी, मुताबिक मौका नजरा नहीं पायी गयी अब भुजा GH को नापा गया तो यह 880 कड़ी मुताबिक मौका नजरा नहीं पायी गयी भुजा HI को नापा गया नजरी मुताबिक नजरा 190 कड़ी होनी चाहिए जो मौके पर 220 कड़ी पायी गयी यानी 30 कड़ी ... पड़ गयी अब भुजा HH' को नापा गया तो मुताबिक नजरा 285 कड़ी होनी चाहिए ... कड़ी पायी गयी जो 10 कड़ी कम है ... भाग है स्थल पर मेड़ तोड़ कर गाटा संख्या 188 को ... गया अब भुजा IJ को नापा गया जो मुताबिक मौका ... नहीं पायी गयी। अब भुजा JK को नापा गया ... उक्त भुजा मुताबिक नजरा 180 कड़ी की स्थान ... 30 कड़ी ... गयी ... नहीं गयी ...

R.C. 3156
30.9.2021

162
36

ग्राम शामिल की जब भुजा K-L को मापा गया जो
नजरा 255 कड़ी होनी चाहिए जबकि स्थल
कड़ी पायी गयी जो 25 कड़ी कम है जो स्थल पर
तोड़ कर ग्राम नं० 189 में शामिल पाई गयी, अब
L-M, M-C को मापा गया तो पाया गया उक्त दोनों
भुजाएं क्रमशः 300 कड़ी, 400 कड़ी मुताबिक मौका
नजरा नहीं पाई गयी। नजरी नक्शे पर इसी हुई मेड़
(---) (xxx) लाल रंग से उतारा दर्शाते हुए ग्राम नं०
188 के साथ साथ अन्य पड़ोसी ग्रामों का मुताबिक
अभिलेख पूरा किया गया।

अतः उपरोक्त अनुसार मुताबिक कामी / बेशी स्थल पर
उभय पक्षों के सम्मुख चिन्ह लगवाते समय बताया गया
कि उक्त माप से किसी भी पक्ष को कोई एतराज है तो
नियमानुसार नियत तिथि को उपजिलाधिकारी महोदय
के न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र देवें।

रा० नि०
पटियाली

संलग्नक.
① माप तालिका
② नजरी नक्शा
③ इकबाल बुक्स उपस्थित फलक

राजस्व निरीक्षक की
आख्या सादर अग्रसारित

16/01/12

क्रम सं० ... 3 ५ ३
...
प्रमाणित ...

पेशकार
न्यायालय उपजिलाधिकारी,
उपजिला मजिस्ट्रेट पटियाली

(8)

न्यायालय उपजिलाधिकारी महोदय, ~~कासगंज~~ पटियाली।

सं० ...

भाद्रराज बनाम अतिराज सिंह आदि

मौजा नौगांपुर परगना सिढ़पुरा तहसील ~~कासगंज~~ पटियाली जनपद-कासगंज।

नाप तालिका   गाटा सं० 189   क्षेत्रफल 1-020

चिन्ह (बिन्दु)	नाप मुताबिक नक्शा (कड़ी में)	नाप मुताबिक मौका (कड़ी में)	कमी	बेशी	विवरण
A-B	1380	1380	—	—	
B-C	1510	1510	—	—	
A-C	1260	1260	—	—	
C-D	700	700	—	—	आम सड़क
D-E	440	440	—	—	
E-F	300	300	—	—	
F-G	300	300	—	—	
G-H	390	390	—	—	[illegible]
H-I	190	220	—	30	
H-H'	285	275	10	—	
I-J	640	640	—	—	
J-K	180	210	—	30	
K-L	255	230	25	—	
L-M	300	300	—	—	
M-C	400	400	—	—	

(हस्ताक्षर) 2.12.22

रा०नि०

सिढ़पुरा

GPS Map Camera
Google
Longpur, Uttar Pradesh, India
Hvvv+jg8, Longpur, Uttar Pradesh 207246, India
Lat 27.593212° Long 78.895643°
Tuesday, 17/02/2026 11:40 AM GMT +05:30

आधार कार्ड फोटो

ANNEXURE-3

खतौनी छायाप्रति

अनुलग्नक–एक (भाग–एक)

क्रमांक **596**

वन प्रभाग का नाम **कासगंज**

संख्या– .... वित्तीय वर्ष ....

उत्तर प्रदेश संरक्षण अधिनियम, 1976 के अधीन वृक्ष गिराने की अनुज्ञा के लिए

आवेदन

(उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम (यथा संशोधित), 1976 की धारा 5(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित)

सेवा में,

उप प्रभागीय वन अधिकारी/प्रभागीय निदेशक/तहसीलदार/उद्यान निरीक्षक/वन विद ....

....वनाधिकारी महोदय....

जिला ....कासगंज....

महोदय,

मैं/हम ....सोनपाल.... पुत्र श्री ....हाकिम सिंह.... निवासी ग्राम ....लौंगपुर....

.... डाक ....सिढ़पुरा.... तहसील ....पटियाली.... जिला ....कासगंज....

अपने निजी कास्त के वृक्षों को गिराना और हटाना चाहता हूँ / चाहते हैं, जो नीचे दिये गये विवरण के अनुसार तहसील ....पटियाली.... जिला ....कासगंज.... में पड़ने वाली मेरी/हमारी भूमि के प्लाट सं0 ....187.... रकबा ....0.465.... में स्थित है:–

क्र.सं0	वृक्ष की प्रजाति	छाती की ऊँचाई पर वृक्ष के तने का व्यास (से.मी.)	वृक्ष को गिराने/हटाने का कारण
1	12 वृक्ष जामुन		टेढ़े / रोगग्रस्त / फसल में बाधक
2			
3	कार्यालय		
4	प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज पत्रांक 2270/22-1 दिनांक 05/04/2025		
5	सेवा में,		
6	क्षेत्रीय वनाधिकारी		
7	पटियाली।		
8			
9	उक्त के सम्बन्ध में मौके की जाँच कर स्पष्ट	आख्या प्रेषित करें। साथ ही यह	
10	भी स्पष्ट करें कि मौके पर कुल कितने वृक्ष हैं	तथा पातन के पश्चात कितने	
11	वृक्ष शेष रहेंगे।		
12	[illegible]		
13	[illegible]		
14	प्रधान लिपिक		प्रभागीय वनाधिकारी
15	05/04/25		कासगंज वन प्रभाग,
16	प्रधान लिपिक		कासगंज
17	कासगंज वन प्रभाग कासगंज		

2. मैं/हम वृक्षों को गिराने के तुरन्त पश्चात् आने वाली ऋतु की समाप्ति से पूर्व......जामुन.......... प्रजाति सं0 ......आम, नीम, जामुन.....के वृक्षों का रोपण और संरक्षण करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

3. मैं/हम उपर्युक्त वृक्ष (वृक्षों) को गिराऊँगा और हटाऊँगा/गिरायेंगे और हटायेंगे या मैं/हम श्री............ ....सोनपाल..... पुत्र श्री..........हाकिम सिंह..........निवासी ग्राम ....नौंगपुर.......... डाक.........सिढ़पुरा...........तहसील..........पटियाली..........जिला..........कासगंज.............. को उपर्युक्त वृक्ष/वृक्षों को गिराने और हटाने के लिए अधिकृत करूँगा/करेंगे जिसके लिए नोटरी द्वारा सत्यापित..................100..........................रूपये के न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र पर प्राधिकार पत्र इसके साथ संलग्न है।

4. मैं/हम प्रत्येक गिरे हुए वृक्ष के लिए दो पौधों के रोपण और पश्चातवर्ती देख–रेख की प्रतिभूति स्वरूप प्रति पौधा 1000 रूपये दर से ....12000/-.........रूपये का डाकघर बचत बैंक पासबुक/राष्ट्रीय बचत पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी के पदनाम से गिरवी रखी गयी है, संलग्न करता हूँ / करते हैं।

5. मैं/ हम वृक्ष को गिराने या आवेदन की अस्वीकृति के सम्बन्ध में रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय का पत्र व्यवहार करने के लिए अपना पता युक्त स्टाम्पित लिफाफा संलग्न करता हूँ/करते हैं।

6. मैंने / हमने उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के उपबन्धों को पढ़ लिया है और मैं / हम उनका पालन करूँगा / करेंगे।

7. मैं / हम सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त सूचनाऐं मेरी/हमारी सर्वोत्तमजानकारी के अनुसार सही और सत्य हैं।

8. अनुरोध है कि उपर्युक्त वृक्ष / वृक्षों को गिराने / हटाने की सिफारिश इस आवेदन पत्र के भाग–दो में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :–

1. प्रतिभूति के रूप में डाकघर बचत पास बुक / राष्ट्रीय बचत पत्र (मूल रूप में)।
2. अपना पता युक्त और स्टाम्पित रसीदी रजिस्ट्री डाक का लिफाफा।
3. मूल रूप में न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र पर नोटरी द्वारा स्त्यापित मुख्तारनामा (यदि लागू हो)।

आवेदक का हस्ताक्षर.......सोनपाल..........
नाम..........सोनपाल..........
पुत्र श्री..........हाकिम सिंह..........
निवासी ग्राम..........नौंगपुर..........डाक..........सिढ़पुरा.....
तहसील..........पटियाली..........जिला..........कासगंज....
पिन कोड..........207246..........

दिनांक.....05/04/2025.......
स्थान......कासगंज.........

टिप्पणी :

(1) वन विभाग से क्रय किये गये आवेदन पत्र ही, न कि फोटो प्रतियां स्वीकार होंगे।
(2) अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ANNEXURE-4

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज।

(सर्कुलर रोड, उर्मिला कोल्ड स्टोर के सामने कासगंज ई–मेल dfokasganj@gmai.com phone no-05744-247550

पत्रांक 118 /22-1 . दिनाँक, कासगंज, जुलाई 22, ,2025

सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
पटियाली

विषयः– **निजी वृक्षों का पातन एवं अभिवहन।**

सन्दर्भः– पातन अनुज्ञा संख्या 5768051 दिनांक 22.07.2025

सोनपाल पुत्र श्री हाकिम सिंह निवासी ग्राम लोंगपुर, पोस्ट सिढ़पुरा, जिला कासगंज के गाटा संख्या 187/0.465 है0 में स्थिति 12 जामुन वृक्षों की सन्दर्भित पातन अनुज्ञा द्वारा पातन अनुज्ञा उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत आपके कार्यालय का पत्रांक 271/22–1 दिनांक 29.04.2025 के आधार पर जारी की गई है। आपको आदेशित किया जाता है कि

1– चालान संख्या– वी0यू0एन0 250024624 दिनांक 22.07.2025 की मूल प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप चालान को नियमानुसार लेखाबद्ध करें।

2– वृक्षों के पातन किये जाने से पूर्व उ0प्र0 वन उपज एवं प्रकाष्ठ परिवहन नियमावली 1978 के अन्तर्गत नियमानुसार अभिवहन शुल्क की धनराशि वसूल करने के उपरान्त ही वन उपज की निकासी दी जाए।

3– रिजर्व पेड़ों को पीले रंग के पेन्ट से चिन्हांकित कर सुरक्षित रखा जाए तथा पातन के पश्चात स्थल फोटोग्राफ सहित यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए कि रिजर्व पेड़ों का पातन नहीं किया गया है।

4– समय–समय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ एवं वन सरंक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के निर्देशों का अनुपालन किया जाए।

<u>संलग्नकः– यथोपरि।</u>

प्रभागीय वनाधिकारी,
कासगंज वन प्रभाग,कासगंज।

पटियाली रेंज

वन विभाग (उ० प्र० सरकार)
Department of Forest (Government of Uttar Pradesh)

Your site visit ... PM IST]

वृक्ष गिराने का अनुज्ञा पत्र

(शासनादेश संख्या :- उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग -2488/14-5-2002-7/93 दिनांक 28/12/2002)
(अधिनियम की धारा 5 (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित) प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय सामाजिक वानिकी प्रभाग, 5768051 संख्या दिनांक 22/07/2025

सेवा में ,

		क्षेत्र:	ग्रामीण				
श्री/श्रीमती/कुमारी :	सोनपाल	पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री:	हाकिम सिंह	ज़िला:	कासगंज		
तहसील:	पटियाली	परगना:	सिढपुरा	थाना:	सिधपुरा		
डाक:	सिधपुरा	ग्राम सभा:	लोंगपुर	गांव:	लोंगपुर		

उत्तर प्रदेश वृक्ष सरंक्षण अधिनियम 1 9 7 6 की धारा -5 के अधीन वृक्ष (वृक्षों) को गिराने के लिए अनुज्ञा पत्र गिराये जाने के सम्बन्ध में आपके आवेदन दिनांक 22/07/2025 और जाँच अधिकारी की सिफारिश के आधार पर वृक्ष / वृक्षों को गिराने / हटाने के लिए नीचे दिए गये विवरण के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	प्रजाति का नाम	132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि(से.मी. में)	वृक्ष को गिराने का कारण	वन-दरोगा द्वारा दिया गया 132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि (से.मी.)	वन-दरोगा द्वारा दिया गया वृक्ष को गिराने का कारण
1	जामुन	126	हरा खड़ा कृषि में वाधक	126	हरा खड़ा कृषि में बाधक
2	जामुन	126	हरा खड़ा कृषि में वाधक	126	हरा खड़ा कृषि में बाधक
3	जामुन	127	हरा खड़ा कृषि में वाधक	127	हरा खड़ा कृषि में बाधक
4	जामुन	128	हरा खड़ा कृषि में वाधक	128	हरा खड़ा कृषि में बाधक
5	जामुन	133	हरा खड़ा कृषि में वाधक	133	हरा खड़ा कृषि में बाधक
6	जामुन	134	हरा खड़ा कृषि में वाधक	134	हरा खड़ा कृषि में बाधक
7	जामुन	146	हरा खड़ा कृषि में वाधक	146	हरा खड़ा कृषि में बाधक
8	जामुन	147	हरा खड़ा कृषि में वाधक	147	हरा खड़ा कृषि में बाधक
9	जामुन	156	हरा खड़ा कृषि में वाधक	156	हरा खड़ा कृषि में बाधक
10	जामुन	161	हरा खड़ा कृषि में वाधक	161	हरा खड़ा कृषि में बाधक
11	जामुन	174	हरा खड़ा कृषि में वाधक	174	हरा खड़ा कृषि में बाधक
12	जामुन	174	हरा खड़ा कृषि में वाधक	174	हरा खड़ा कृषि में बाधक

एन एस सी. संख्या:	020159449273	डाकघर का नाम :	sidhpura	राशि :	12000.00

ANNEXURE-5

FELLED TREES:

Latitude: 27.593045
Longitude: 78.895455
Elevation: 174.82±17.0 m
Accuracy: 14.93 m
Time: 11-03-2026 12:35
Note: बकैना लोंगपुर
Powered by NoteCam

Latitude: 27.593217
Longitude: 78.895749
Elevation: 151.82±25.0 m
Accuracy: 18.45 m
Time: 11-03-2026 12:36
Note: यूकेलिपस्टिक लोंगपुर
Powered by NoteCam

UNFELLED TREES:

Latitude: 27.593074
Longitude: 78.895412
Elevation: 157.82±13.0 m
Accuracy: 19.21 m
Time: 25-03-2026 10:16
Note: जामुन लोंगपुर
Powered by NoteCam

Latitude: 27.593061
Longitude: 78.895734
Elevation: 166.82±13.0 m
Accuracy: 18.08 m
Time: 25-03-2026 10:17
Note: जामुन लोंगपुर
Powered by NoteCam

FACTUAL STATUS:

ANNEXURE-6

70

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 215973202602378

ग्राम क्रमांक : 215973 ग्राम का नाम (परगना) : लोंगपुर(सिढ़पुरा) तहसील : पटियाली जनपद : कासगंज फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00381

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
187	1) सोनपाल / हाकिमसिह / नि.ग्राम			187(2159730187000012)	0.4650	1) 1/1	1) 0.4650	11.20
							0.4650	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.4650 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 11.20 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.4650)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		187(2159730187000012)			187(2159730187000012)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

1) Aryavart Bank / 22935 / 04-01-2025 / 300000.00 / 202010122025000122935 / सोनपाल(हाकिमसिह)

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by:OM PRAKASH(REVENUE INSPECTOR)
दिनाँक/समय/स्थान: 17-02-2026 02:46:03 तहसील : पटियाली
यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : SANJEEV KUMAR तहसील : पटियाली
मुद्रित दिनांक एवं समय: 17-02-2026 02:46:03
Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्दरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

रजिस्ट्रार कानूनगो तहसील पटियाली जनपद-कासगंज

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 215973202602379

ग्राम क्रमांक : 215973 ग्राम का नाम (परगना) : लोंगपुर(सिढ़पुरा) तहसील : पटियाली जनपद : कासगंज फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00291

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
188	1) वावूराम / गनेश / नि.ग्राम			188(2159730188000012)	1.0200	1) 1/1	1) 1.0200	25.20
							1.0200	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 1.0200 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 25.20 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (1.0200)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		188(2159730188000012)			188(2159730188000012)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by:OM PRAKASH(REVENUE INSPECTOR)
दिनाँक/समय/स्थान: 17-02-2026 02:46:27 तहसील : पटियाली

यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : SANJEEV KUMAR तहसील : पटियाली
मुद्रित दिनांक एवं समय: 17-02-2026 02:46:27
Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्दरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

रजिस्ट्रार कानूनगो
तहसील पटियाली
जनपद-कासगंज

71

नजरी नक्शा राजस्व ग्राम लौंगपुर परगना सिढ़पुरा
तहसील- पटियाली जिला कासगंज

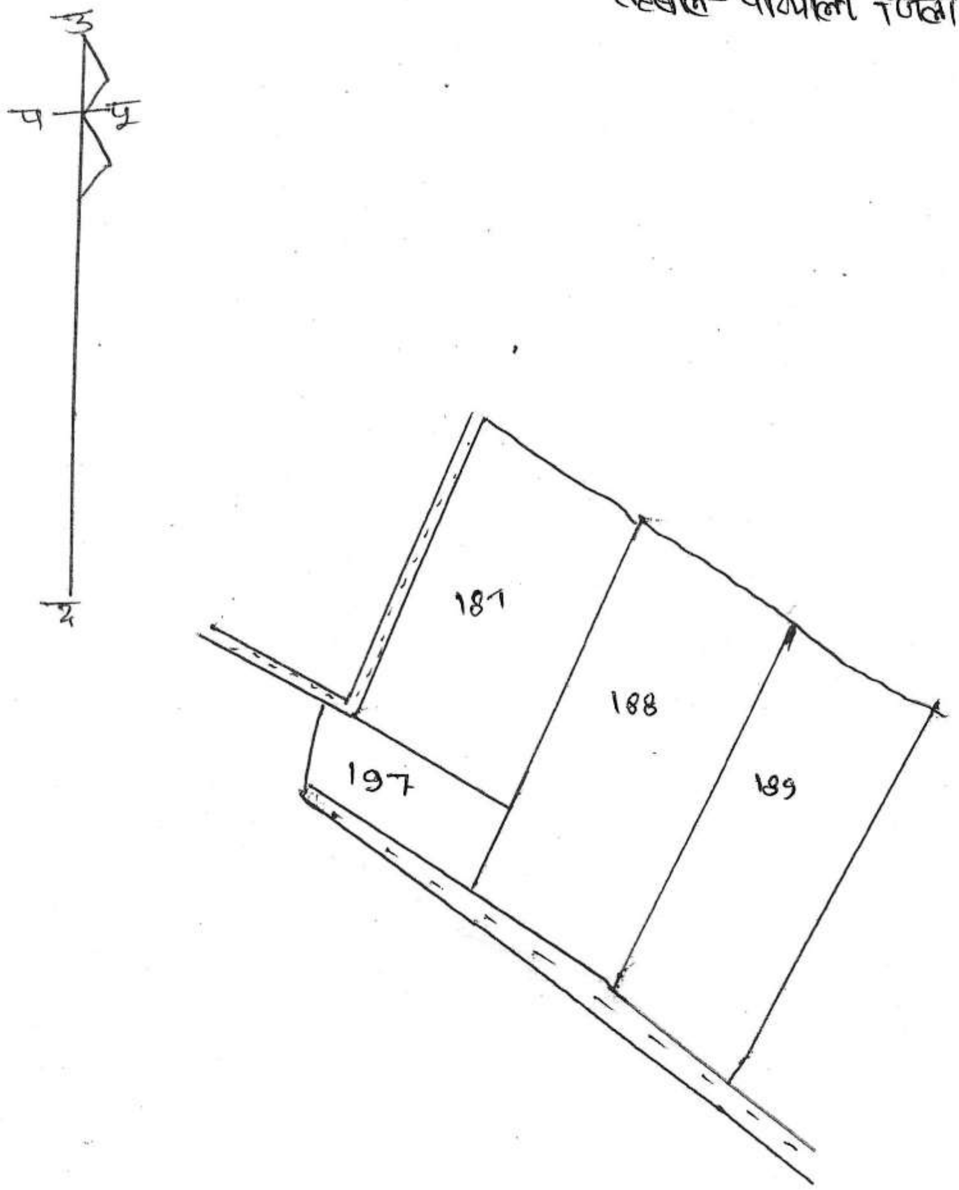

Deepak Kumar
17-02-2026

दीपक कुमार लेखपाल
क्षेत्र ढोलौर
पटियाली कासगंज

ANNEXURE-7

प्रतिलिपि खसरा

ग्राम लोंगपुर .... परगना सिढपुरा .... तहसील पटियाली .... जिला कासगंज .... फसली सम्बन्धी 140 —

नम्बर खेत	क्षेत्रफल	खतौनी खाता संख्या	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई न हो	सिंचाई का साधन	कृषक (फसली) भूमि का क्षेत्रफल — खरीफ क्षेत्रफल: फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	रबी क्षेत्रफल: फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	जायद क्षेत्रफल: फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	दो फसली क्षेत्रफल: सिंचित	असिंचित	मिला खसरा के स्तम्भों के अनुसार आकृषित बिना फसली वाली भूमि का ब्योरा: भूमि श्रेणी	क्षेत्रफल	प्रत्येक खेत के बड़े हुये वृक्षों की संख्या और किस्म	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
107	0.465	301	नौनपाल / ——	X	को०	मक्का	0.400	-	गेहूँ	0.465	-	-	-	-	0.400	-	-	-	पुठ खिन्न -10 पाकर -17 कंजना -02 शिरीष -01 जामुन -15	

सत्यप्रतिलिपि
(शुल्क नियमानुसार प्राप्त किया)

PChauhan
2?/0?/2025
पूजा चौहान
राजस्व लेखपाल
क्षेत्र - सिलोट
तह० पटियाली (कासगंज)

प्रतिलिपि खसरा

ग्राम लौंगपुर परगना सिढपुरा तहसील पटियाली जिला कासगंज सन् 1428 फ० से सन्

गाटा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	खतौनी खाते की संख्या	खतौनी के प्रथम भाग वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो तो	सिंचाई की रीति और कुएँ	कृषिक फसलों वाली भूमि का क्षेत्रफल — खरीफ क्षेत्रफल: फसल का नाम	सिंचाहुआ	अनसिंचा	रबी क्षेत्रफल: फसल का नाम	सिंचाहुआ	अनसिंचा	जायद क्षेत्रफल: फसल का नाम	सिंचाहुआ	अनसिंचा	दो फसली क्षेत्रफल: सिंचाहुआ	अनसिंचा	मिलान खसरा के स्तम्भ के अनुसार अकृषिक बिना फसल वाला: भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल	प्रत्येक पूरे खडे हुये वृक्षों की संख्या और किस्म	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
188	1.020	298	वोहराम /	×	बोरिंग हाजा (+)	मक्का (ज्वार)	0.500 0.340	– –	गेहूं बरसीम	1.000 0.020	–	–	–	–	0.800	—	—	—	×	×

74

सत्यप्रतिलिपि सरकारी कार्य हेतु

Dhirendra Kumar
26-03-2026

दीपेन्द्र कुमार लेखपाल
क्षेत्र लौंगपुर
पटियाली कासगंज

ANNEXURE-8

प्रेषक ,

जिलाधिकारी,
कासगंज।

सेवा में,

श्री भंवर पाल सिंह जादौन,
स्थाई अधिवक्ता,
माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

पंत्राक 95 / एन0जी0टी0 / एस0टी0–एडीएम–जे–2026 दिनांक 16 मार्च, 2026

विषय : **माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–611/2025 पप्पू बनाम राज्य सरकार व अन्य आदेश दिनांकः11.03.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–- 611/2025 पप्पू बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांकः 11.03.2026 के द्वारा प्रतिवादीगण आर–4 से आर–7 के नोटिस तामील कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांकः 93/दिनांकः 13.03.2026 के द्वारा तहसीलदार पटियाली को उक्त नोटिस तामील कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में तहसीलदार पटियाली के पत्रांकः 1237/रा0लि0 दिनांकः 14.03.2026 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्राप्त 4 नोटिस कमशः 1. सोनपाल पुत्र श्री हाकिम सिंह, 2. विनोद कुमार पुत्र सोनपाल, 3. विजय बाबू 4. विकास बाबू पुत्र महेश समस्त निवासीगण ग्राम लौंगपुर परगना सिढ़पुरा को व्यक्तिगत रूप से दिनांकः 14.03.2026 को तामील करा दिए गए हैं, जिसकी प्राप्ति की प्रति मूलरूप में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि नोटिस तामीला मा0 न्यायाधिकरण में दाखिल कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

जिलाधिकारी,
कासगंज।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज को इस आशय के साथ कि उपरोक्त तामीला शुदा नोटिसो को स्थाई अधिवक्ता के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में समय से दाखिल कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
कासगंज।

कार्यालय तहसीलदार पटियाली, जनपद कासगंज।

पंत्राक 1237 /रा0लि0/ दिनांक– 14 मार्च 2026

अपर जिलाधिकारी महोदय, (न्यायिक),
जनपद कासगंज।

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या 93/दिनांक 13 मार्च 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा पत्र के साथ संलग्न 4 नोटिस क्रमशः सोनपाल पुत्र श्री हाकिम सिंह व विनोद कुमार पुत्र श्री सोनपाल व विजय बाबू तथा विकास बाबू पुत्र श्री महेश समस्त निवासी लौंगपुर परगना सिढपुरा, जो मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली से पप्पू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एप्लीकेशन सं0 611/2025 से सम्बन्ध में मा0 न्यायाधिकरण से प्राप्त हुये है की विधिवत तामीला कराकर तामीली रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के सम्बन्ध में महोदय को अवगत कराना है कि प्राप्त 4 क्रमशः नोटिस सोनपाल पुत्र श्री हाकिम सिंह व विनोद कुमार पुत्र श्री सोनपाल व विजय बाबू तथा विकास बाबू पुत्र श्री महेश समस्त निवासी लौंगपुर परगना सिढपुरा, जो मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली से पप्पू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एप्लीकेशन सं0 611/2025 से सम्बन्ध में मा0 न्यायाधिकरण से सम्बन्धित नोटिसों की तामीला करा दिया गया हैं तामीली रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न करके भेजी जा रही है।

14.3.26
तहसीलदार
पटियाली

BY EMAIL /SPEED POST A.D.

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI
Original Application No. 611/2025
Pappu Vs State of Uttar Pradesh & Ors.

To

1. Sonpal S/o Hakim Singh, R/o Longpur (Respondent No.4)
2. Vinod Kumar S/o Sonpal, R/o Longpur (Respondent No.5)
3. Vijay Babu R/o Sidhpura, R/o Longpur (Respondent No.6)
4. Vikas Babu S/o Mahesh Chandra R/o Longpur (Respondent No.7)

NOTICE

Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 26.02.2026 (copy of order & application are enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

"3. District Magistrate, Kansganj (Kashiram Nagar) has also not submitted report regarding service of notices on respondents no. 4 to 7.

4. Notices are ordered to be served on respondents no. 4 to 7 through the District Magistrate, Kansganj (Kashiram Nagar) and for this purpose, notice issued to respondents no. 4 to 7 may be sent to the District Magistrate, Kansganj (Kashiram Nagar) by email for getting the service effected on respondents no. 4 to 7 and sending his report in this regard to this Tribunal within 15 days.

9. List on 30.03.2026 for further hearing."

-******-

2. Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 30.03.2026 at **Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001** through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file reply/response, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 26.02.2026.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

4. Given under my hand and the seal of this Hon'ble Tribunal, on this 11th March, 2026.

Note: *(For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website* www.greentribunal.gov.in*)*

11/3/2026

Consultant (Judicial), NGT

गवाही
वेदप्रकाश पु० चन्द्रपाल
गवा. सत्यपाल पु० ओमप्रकाश

विजय कुमार
14/3/2026

श्री मान जी, मोहन श० से० का ब्यान है कि विजय बाबू को एक प्रति नोटिस दस्ती दे दिया गया जिनके हस्ताक्षर मौजूद है। गवाही मौके की दर्ज है।
14/3/26

14/03/2026
नायब नाजिर
तहसील पटियाली
जिला–कासगंज

BY EMAIL /SPEED POST A.D.

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI
Original Application No. 611/2025
Pappu Vs State of Uttar Pradesh & Ors.

To

1. Sonpal S/o Hakim Singh, R/o Longpur (Respondent No.4)
2. Vinod Kumar S/o Sonpal, R/o Longpur (Respondent No.5)
3. Vijay Babu R/o Sidhpura, R/o Longpur (Respondent No.6)
4. Vikas Babu S/o Mahesh Chandra R/o Longpur (Respondent No.7)

NOTICE

Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 26.02.2026 (copy of order & application are enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

"3. District Magistrate, Kansganj (Kashiram Nagar) has also not submitted report regarding service of notices on respondents no. 4 to 7.

4. Notices are ordered to be served on respondents no. 4 to 7 through the District Magistrate, Kansganj (Kashiram Nagar) and for this purpose, notice issued to respondents no. 4 to 7 may be sent to the District Magistrate, Kansganj (Kashiram Nagar) by email for getting the service effected on respondents no. 4 to 7 and sending his report in this regard to this Tribunal within 15 days.

9. List on 30.03.2026 for further hearing."

-******-

2. Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 30.03.2026 at **Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001** through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file reply/response, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 26.02.2026.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

4. Given under my hand and the seal of this Hon'ble Tribunal, on this 11th March, 2026.

Note: *(For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in)*

गवाही → सत्यपाल पु० श्री गोविन्दराम (प्राप्तकर्ता ↓ विनोद कुमार)

गवाही → वेदप्रकाश पु० श्री ओमचनपाल

Consultant (Judicial), NGT

श्रीमान जी, मौके राठ से० का ब्यान है कि विनोद कुमार को एक प्रति नोटिस दस्ती दे दिया गया जिनके हस्ताक्षर मौजूद हैं गवाही मौके की दर्ज है।

[signature] 14/03/26 [signature] 14/3/26

नायब नाजिर
तहसील पटियाली
जिला–कासगंज

BY EMAIL /SPEED POST A.D.

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI
Original Application No. 611/2025
Pappu Vs State of Uttar Pradesh & Ors.

To

1. Sonpal S/o Hakim Singh, R/o Longpur (Respondent No.4)
2. Vinod Kumar S/o Sonpal, R/o Longpur (Respondent No.5)
3. Vijay Babu R/o Sidhpura, R/o Longpur (Respondent No.6)
4. Vikas Babu S/o Mahesh Chandra R/o Longpur (Respondent No.7)

NOTICE

Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 26.02.2026 (copy of order & application are enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

"3. District Magistrate, Kansganj (Kashiram Nagar) has also not submitted report regarding service of notices on respondents no. 4 to 7.

4. Notices are ordered to be served on respondents no. 4 to 7 through the District Magistrate, Kansganj (Kashiram Nagar) and for this purpose, notice issued to respondents no. 4 to 7 may be sent to the District Magistrate, Kansganj (Kashiram Nagar) by email for getting the service effected on respondents no. 4 to 7 and sending his report in this regard to this Tribunal within 15 days.

9. List on 30.03.2026 for further hearing."

-******-

2. Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 30.03.2026 at **Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001** through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file reply/response, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 26.02.2026.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

4. Given under my hand and the seal of this Hon'ble Tribunal, on this 11th March, 2026.

Note: *(For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in)*

गवाही-

वेदप्रकाश पु० धनपाल

ग्रा०. सत्यपाल पु० गोविन्दराम

(प्राप्तकर्ता सोनपाल)

Consultant (Judicial), NGT

श्रीमान जी,

मोहन राम सेठ का ब्यान है कि सोनपाल को एक प्रति नोटिस दस्ती दे दिया गया जिनके हस्ताक्षर मौजूद है। गवाही मौके की दर्ज है।

15/03/26 15/3/26

नायब नाजिर
तहसील पटियाली
जिला-कासगंज

BY EMAIL /SPEED POST A.D.

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI
Original Application No. 611/2025
Pappu Vs State of Uttar Pradesh & Ors.

To

1. Sonpal S/o Hakim Singh, R/o Longpur (Respondent No.4)
2. Vinod Kumar S/o Sonpal, R/o Longpur (Respondent No.5)
3. Vijay Babu R/o Sidhpura, R/o Longpur (Respondent No.6)
4. Vikas Babu S/o Mahesh Chandra R/o Longpur (Respondent No.7)

NOTICE

Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 26.02.2026 (copy of order & application are enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

"3. District Magistrate, Kansganj (Kashiram Nagar) has also not submitted report regarding service of notices on respondents no. 4 to 7.

4. Notices are ordered to be served on respondents no. 4 to 7 through the District Magistrate, Kansganj (Kashiram Nagar) and for this purpose, notice issued to respondents no. 4 to 7 may be sent to the District Magistrate, Kansganj (Kashiram Nagar) by email for getting the service effected on respondents no. 4 to 7 and sending his report in this regard to this Tribunal within 15 days.

9. List on 30.03.2026 for further hearing."

-******-

2. Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 30.03.2026 at **Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001** through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file reply/response, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 26.02.2026.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

4. Given under my hand and the seal of this Hon'ble Tribunal, on this 11th March, 2026.

Note: *(For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in)*

गवाह वेदप्रकाश पु० धनपाल

गवाह → विकासबाबू पु० महेशचन्द्र प्राप्तकर्ता

गवाह → सत्यपाल पु० श्रीगोविन्दराम विकासबाबू

National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (seal)

11/3/2026

Consultant (Judicial), NGT

श्रीमान जी, मोहन राव सं० का ध्यान है कि विकास बाबू को एक प्रति नोटिस दस्ती दे दिया गया जिनके हस्ताक्षर मौजूद हैं। गवाही मौके की दर्ज है।

14/3/26

नायब नाजिर
तहसील पटियाली
जिला—कासगंज

शीर्ष प्राथमिकता
मा0 एनजीटी प्रकरण

कार्यालय जिलाधिकारी, कासगंज।

पत्रांक— 93 / एस0टी0—नोटिस तामीला / एनजीटी दिनांक—13.03.2026

तहसीलदार
पटियाली।

कृपया संलग्न 04 मात्र नोटिस क्रमशः सोनपाल पुत्र श्री हाकिम सिंह, विनोद कुमार पुत्र श्री सोनपाल, विजय बाबू तथा विकास बाबू पुत्र महेश समस्त निवासी ग्राम लौंगपुर परगना सिढ़पुरा तहसील पटियाली जनपद कासगंज का अवलोकन करें। यह सभी नोटिस मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली से पप्पू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, एप्लीकेशन सं0—611 / 2025 से सम्बन्ध में मा0 न्यायाधिकरण से प्राप्त हुए हैं, जिनका तामीला तत्काल कराया जाना आवश्यक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त 04 नोटिसों का तामीला व्यक्तिगत रूप से कराते हुए तामीली रिपोर्ट कल दिनांक 14.03.2026 को सायः काल तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 न्यायाधिकरण को तामीली रिपोर्ट समय से प्रेषित किया जा सके। इसको शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
Manzoor Ahmad Ansari
Date: 13-03-2026
14:18:16

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)
कासगंज

13/3/26

शीर्ष प्राथमिकता
मा0 एनजीटी प्रकरण

कार्यालय जिलाधिकारी, कासगंज।

पत्रांक— 93 /एस0टी0—नोटिस तामीला/एनजीटी दिनांक—13.03.2026

तहसीलदार
पटियाली।

कृपया संलग्न 04 मात्र नोटिस क्रमशः सोनपाल पुत्र श्री हाकिम सिंह, विनोद कुमार पुत्र श्री सोनपाल, विजय बाबू तथा विकास बाबू पुत्र महेश समस्त निवासी ग्राम लौंगपुर परगना सिढ़पुरा तहसील पटियाली जनपद कासगंज का अवलोकन करें। यह सभी नोटिस मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली से पप्पू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, एप्लीकेशन सं0—611/2025 से सम्बन्ध में मा0 न्यायाधिकरण से प्राप्त हुए हैं, जिनका तामीला तत्काल कराया जाना आवश्यक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त 04 नोटिसों का तामीला व्यक्तिगत रूप से कराते हुए तामीली रिपोर्ट कल दिनांक 14.03.2026 को सायः काल तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 न्यायाधिकरण को तामीली रिपोर्ट समय से प्रेषित किया जा सके। इसको शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
Manzoor Ahmad Ansari
Date: 13-03-2026
14:18:16

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)
कासगंज